

437/69
04/09/13

संख्या:- 1319 /७८-२-२०१३-५३आई.टी.२०८

प्रेषक,

जीवेश नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

श्री एस.बी. सिंह,
उपमहानिदेशक एवं एसआईओ,
एनआईसी, उ.प्र. एकक,
योजना भवन, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-२

लखनऊ: दिनांक: ०५ सितम्बर, २०१३

विषय: ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट तथा एसएसडीजी योजना के पोर्टल/एप्लीकेशन्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (First in First out-FIFO) का प्राविधान कर इसे लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जन सेवा केन्द्र संचालकों द्वारा तहसीलों को प्रेषित आवेदनों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। इस फील्ड स्तरीय व्यवहारिक समस्या के निराकरण एवं आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट तथा एसएसडीजी योजनान्तर्गत विकसित पोर्टल/एप्लीकेशन्स के माध्यम से प्राप्त हो रहे आवेदनों को उनकी क्रम संख्या (Serial No.), तिथि एवं समय के आधार पर निस्तारित किए जाने के उद्देश्य से पोर्टल/एप्लीकेशन्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (First in First out-FIFO) बिजनेस लॉजिक का प्राविधान किया जाना है जिसमें किसी विशेष परिस्थिति में ही जनपद स्तर पर ओवर-राइड करने की व्यवस्था हो।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट तथा एसएसडीजी योजना के पोर्टल/एप्लीकेशन्स में उपरोक्तानुसार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्राविधान कराते हुए इसे लागू कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या: 1319 (9)/७८-२-२०१३ तदुदिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/पंचायतीराज/विकलांग कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/श्रम/खाद्य रसद/नगर विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र.।
4. सदस्य सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स उ.प्र.।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.पी. कमल)

संयुक्त सचिव